राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर–302006

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल acct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2025/अलेसे–III /481 दिनांकः– 02/02/2026

आदेश संख्याः– 504/2025–26

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को पब्लिक फाईनेंशियल मेनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (PFMTI), जयपुर के तत्वाधान में **महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशल साइन्सेज, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर** में दिनांक 02.02.2026 से 10.03.2026 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के पांच सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया जाता हैः–

S.No.	Roll No.	Name Of Junior Accountant	Name Of Present Office
1.	2.	3.	4.
1.	729182	SHANKAR LAL YADAV	DIRECTOR - 8001958 , RSPAA , JAIPUR
2.	735713	ANKIT SHARMA	DIRECTOR - 6341 , SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT , JAIPUR , JAIPUR
3.	739832	SHAKSHI SHARMA	TREASURY OFFICER (RURAL) - 1109 , TREASURIES AND ACCOUNTS , JAIPUR
4.	756840	POONAM MEENA	RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES (JOBNER), JAIPUR HQ MANSAROWAR JAIPUR
5.	757142	NARENDRA MEENA	DIRECTOR - 8001958 , RSPAA , JAIPUR
6.	757592	KULDEEP MITHARWAL	MANAGING DIRECTOR - 6000007, RUSDIP , JAIPUR
7.	761544	MAHENDRA GURJAR	MEDICAL OFFICER CHC - 22740 , MEDICAL AND HEALTH , BIJAYPUR , CHITTORGARH
8.	764507	SANTARA MEENA	SOCIETY FOR SOCIAL AUDIT ACCOUNTABILITY AND TRANSPERANCY (SSAAT) - 8000899 , SOCIETY FOR SOCIAL AUDIT ACCOUNTABILITY AND TRANSPERANCY (SSAAT) (EX CADRE POSTS) , JAIPUR , JAIPUR
9.	764790	VIVEK KALA	SOCIETY FOR SOCIAL AUDIT ACCOUNTABILITY AND TRANSPERANCY (SSAAT) - 8000899 , SOCIETY FOR SOCIAL AUDIT ACCOUNTABILITY AND TRANSPERANCY (SSAAT) (EX CADRE POSTS) , JAIPUR , JAIPUR
10.	765999	VISHRAM PRAJAPAT	SECRETARY - 1000370 , RAJASTHAN STATE MINORITY COMMISSION (EX CADRE POSTS) , JAIPUR , JAIPUR
11.	766023	PRIYANKA MAURYA	JUDGE, PRINTING AND STATIONERY EMBEZZLEMENT COURT - 8000715 , LAW DEPARTMENT , JAIPUR , JAIPUR
12.	767585	KAMLESH MEENA	COMMISSIONER - 5133 , EDUCATION (HIGHER) , JAIPUR
13.	768577	MEENAKSHI MEENA	SOCIETY FOR SOCIAL AUDIT ACCOUNTABILITY AND TRANSPERANCY (SSAAT) - 8000899 , SOCIETY FOR SOCIAL AUDIT ACCOUNTABILITY AND TRANSPERANCY (SSAAT) (EX CADRE POSTS) , JAIPUR , JAIPUR
14.	763165	SEEMA MEENA	CBEO, SMSA - 8001266 , RAJASTHAN SCHOOL EDUCATION COUNCIL SSA (EX CADRE POSTS) , SIKANDRA , DAUSA
15.	705529	MANISH KUMAR	C.E.O. ZILA PARISHAD (RDC) - 31175 , PANCHAYATI RAJ , BHILWARA , BHILWARA

उक्त प्रशिक्षण की अवधि **पांच सप्ताह** की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा एवं प्रतिदिन 06 व्याख्यान (लेक्चर) होंगे। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण पूर्णतः गैर–आवासीय है। यद्यपि कार्यदिवसों हेतु मध्यान्ह भोजन (Working Lunch) सभी प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा। किन्तु क्रम संख्या 7 एंव 15 पर अंकित कार्मिकों का स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर मनोनयन किये जाने के कारण मील भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण अवधि में यात्रा भत्ता नियम के अध्याय XIII के नियम 34(2) अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ता देय नहीं होगा। परन्तु मील भत्ता नियमानुसार देय होगा।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। **अतः उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकारों को निदेशालय स्तर से दिनांक 02.02.2026 को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 03.02.2026 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देना सुनिश्चित करावें। उक्त प्रशिक्षण अनिवार्य है इसलिए किसी प्रकार का शिथिलन दिया जाना संभव नही है।**

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

सभी कनिष्ठ लेखाकारों को निर्देशित किया जाता है कि TPMS के Online Training (MOOC) पर "Foundation Cource on Public Procurement" को भी प्रशिक्षण अवधि में पूर्ण करें।

2/2/2026
(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2025/अलेसे–III /481 दिनांकः– 02/02/2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पब्लिक फाईनेंशियल मेनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
4. पाठ्यक्रम निदेशक/प्रभारी, पब्लिक फाईनेंशियल मेनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करावें।
5. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष .... को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रुप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें क्योकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।
6. **सम्बन्धित कनिष्ठ लेखाकार को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथी/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नही करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।**
7. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।

Seema
(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)